भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1342
जिसका उत्तर 6 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है ।
15 अग्रहायण, 1946 (शक)

साइबर सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना

1342. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने साइबर सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यह देश में साइबर धोखाधड़ी को रोकने में किस हद तक सहायक होगा?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग):सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो। सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक नीतिगत उपाय किए हैं। सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा मामलों से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत और समन्वित प्रणाली कोभीसंस्थागतरूपदियाहै, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) कीस्थापनाकीगईहै।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के तहत, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

(iii) सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) देश में साइबरस्पेस को स्कैन करने और साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने हेतु साइबरस्पेस से मेटाडेटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

(iv) साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है और दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है, और नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

(v) गृह मंत्रालय (एमएचए) ने साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) बनाया है।

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70क के प्रावधानों के अंतर्गत, सरकार ने देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।

(vii) साइबर सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए 27 सितंबर, 2024 की अधिसूचनाके माध्यम से कार्यआवंटन नियमों (एओबीआर) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्दिष्ट साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर अन्य मंत्रालयों/विभागों को सहायता" से संबंधित मामले इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को सौंपे गए हैं।

- "दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा" से संबंधित मामले दूरसंचार विभाग (डीओटी) को सौंपे गए हैं।

- साइबर अपराध से संबंधित मामले गृह मंत्रालय (एमएचए) को सौंपे जाते हैं।

- "साइबर सुरक्षा के लिए समग्र समन्वय और रणनीतिक दिशा प्रदान करने" से संबंधित मामले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) को सौंपे गए हैं

साइबर सुरक्षा में विभिन्न सरकारी निकायों को स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियां सौंपकर, ये नियम साइबर धोखाधड़ी का पता लगाने और शमनकरने सहित साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक अधिक संरचित और सुसंगत दृष्टिकोण तैयार करते हैं।

*****